

कार्यालय, नगर निगम, आदित्यपुर

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, आदित्यपुर क्षेत्रान्तर्गत वैसे नगरिक/बिल्डर आदि जिनके द्वारा मकान निर्माण/मरम्मत कार्य किये जा रहे हैं, वैसे लोग मकान निर्माण/मरम्मत कार्य से निकले अपशिष्टों को सार्वजनिक स्थान पर ना फेंके। सार्वजनिक स्थान में अपशिष्ट फेंकना झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत कानून अपराध है। नगर निगम द्वारा उक्त अपशिष्टों को निर्धारित स्थल पर निस्तारण कराने के लिए 0657-6551014 सम्पर्क कर सकते हैं। अपशिष्ट निष्पादित हेतु आदित्यपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। जो निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	गाड़ी का प्रकार	शुल्क प्रति ट्रीप
1	टेम्पु (छोटा)	200.00 प्रति ट्रीप
2	ट्रैक्टर	500.00 प्रति ट्रीप

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर

ज्ञापांक 1306

दिनांक 3.6.17

प्रतिलिपि : विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक भास्कर/प्रभात खबर/दैनिक जागरण/उदितवाणि/हिन्दुस्तान/न्यू इस्पात मेल, एवं खबर मंत्र आदित्यपुर, जमशेदपुर को अपने स्थानीय दैनिक सामाचार पत्र के एक अंक में न्यूनतम पठनिय साईज में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर

ज्ञापांक 1306

दिनांक 3.6.17

प्रतिलिपि : माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभी वार्ड पार्षद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, आदित्यपुर